न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र **प्रकरण संख्या 17/2022.(**GCMS : 2022/17**)**

राजाराम पुत्र रामलाल जाति सोनी निवासी 109 जवाहर मार्केट, माल गोदाम रोड, श्रीगंगानगर

बनाम

1. सुभाष कुमार, उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. नानूराम पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
3. सुभाष पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
4. विनोद पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
5. इन्द्रजीत पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
6. रणवीर पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
7. हरीराम पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
8. शिवलाल पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
9. संतोष पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
10. अनुप कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
11. सुनीता पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
12. अनीता पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
13. बनवारीलाल पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर
14. जगदीश पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर
15. राजेन्द्र मण्डा पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर
16. रेशमा पुत्री ताराचन्द पत्नी बींझाराम निवासी सांवतसर तहसील पदमपुर
17. रामेश्वरी पुत्री ताराचन्द पत्नी आसाराम निवासी सांवतसर तहसील पदमपुर
18. गुरमेलखान पुत्र धीका जाति झिंकर निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर
19. कच्छखान पुत्र धीका जाति झिंकर निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर

सत्यमेव जयते
WebCopy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:28:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

20. पप्पूखान पुत्र धीका
21. लाभो पुत्र धीका
22. सेना पुत्री धीका
23. पम्मी पुत्री धीका
24. छिन्द्र पुत्री धीका
25. प्रीतो पत्नी नाजर सिंह

जातियान झिंवर निवासीगण बींझबायला तहसील पदमपुर

26. जीरो पत्नी सुखा सिंह जाति झिंवर निवासी दबी थाना भिखी जिला अमृतसर (पंजाब)
27. गोली पत्नी जगर सिंह जाति झिंवर निवासी कालबन्जारा थाना दडबा जिला संगरूर (पंजाब)

28. वकीला पुत्र शेराराम
29. गन्नी पुत्र वकीला
30. सलमान पुत्र वकीला
31. लालचन्द पुत्र बकीला
32. साधुराम पुत्र बकीला
33. उस्मत बानो पत्नी गुरदेव
34. अशरफ पुत्र गुरदेव
35. असलम पुत्र गुरदेव
36. सयादी पुत्री गुरदेव
37. दर्शन पुत्र शेराराम

जातियान झिंवर निवासीयान बींझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

38. मायाराम पुत्र दौलतराम जाति सोनी निवासी बींझवायला तहसील पदमपुर
39. पूनम पत्नी सन्तकुमार जाति सोनी निवासी फ्लैट सं. एस–29, नारायण विहार पुलिस थाना, वरूण पथ, मानसरोवर जयपुर
40. आदित्य पुत्र सन्तकुमार जाति सोनी निवासी फ्लैट सं. एस–29, नारायण विहार पुलिस थाना, वरूण पथ, मानसरोवर जयपुर
41. दीक्षा पुत्री सन्तकुमार जाति सोनी निवासी फ्लैट सं. एस–29, नारायण बिहार, पुलिस थाना वरूण पथ, मानसरोवर जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:28:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

42\. ज्यानी देवी पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर

43 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर **—अप्रार्थीगण**

23.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी एवं अप्रार्थी संख्या 38 के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री अरविन्द्र कुमार एवं अप्रार्थी संख्या 15 के अधिवक्ता श्री दलबार सिंह बराड़ पूर्व में उपस्थित हुए थे, उन्हें पूर्व में सुना गया था।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :

थानाधिकारी पुलिस थाना पदमपुर ने एक परिवाद अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को तलब किया गया एवं 146 सीआरपीसी के अन्तर्गत दिनांक 22.01.1997 को रकबा कुर्क किया जाकर तहसीलदार, पदमपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया, जिसके उपरान्त पक्षकारों के लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने पर दिनांक 17.11.2004 के द्वारा पार्टी संख्या 2 नानूराम का कब्जा घोषित किया गया। नानूराम आदि द्वारा अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 श्रीगंगानगर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिस पर अपर जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11.05.2009 को [illegible] आदेश दिनांक 17.11.2004 को अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया तथा अपर जिला न्यायाधीश, श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक [illegible].2003 एवं 16.10.2008 की रोशनी में परिशांति भंग होने की आशंका [illegible] समाप्त हो जाने के आधार पर कब्जा प्राप्ति के हकदार व्यक्ति का निर्धारित हेतु रिमाण्ड किया गया। प्रकरण न्यायालय में पुनः नम्बर पर दर्ज किया तथा प्रकरण दिनांक 06.04.2010 को वादगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:28:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आराजी को पुनः कुर्क किया जाकर तहसीलदार, पदमपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया जिसके वाद पत्रावली साक्ष्य में चल रही है। पार्टी संख्या 1 नानूराम वगै. द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी ने कथन था कि प्रकरण में पार्टी संख्या 1 नानूराम वगै. के पक्षकारों ने राजनैतिक अप्रोच का इस्तेमाल किया है तथा प्रकरण को अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिए पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क किया जा चुका है। पिछली कुछ पेशियों पर पार्टी संख्या 1/अप्रार्थी राजेन्द्र मण्डा का पीठासीन अधिकारी से मिलते हुए प्रार्थी ने स्वयं देखा है। जिसके कारण प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी संख्या 15 राजेन्द्र मण्डा के पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को भूमि का कब्जा देने का भरोसा दिलाया है तथा प्रकरण का जल्दी निर्णय पार्टी संख्या 1 के पक्ष में किये जाने का आश्वासन दिया जा चुका है।

उनका आगे कथन था कि दिनांक 02.09.2021 को पार्टी संख्या 1 के गवाह महावीर प्रसाद, फकीर सिंह, कृष्णलाल के बयान लेखबद्ध किये गये जब प्रार्थी के अधिवक्ता को जिरह का मौका ही नहीं दिया गया तथा अपने स्तर पर जिरह करने से [illegible] अंकित कर दिया गया, जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा [illegible] करने [illegible] को इन्कार करने के स्थान पर डेफर किया, अंकित कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:28:48 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे कथन था कि बयान डेफर का अर्थ बयानों के लिए आगामी पेशी देना है परन्तु पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी की जिरह ही बंद

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कर दी है तथा प्रार्थी को जिरह के लिए अवसर देने की मांग की जिसे मातहत न्यायालय ने कंसीडर ही नही किया है इसलिए प्रार्थी को मातहत न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए उसकी पत्रावली को न्याय हित में अन्य किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित है।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अत्यधिक पुराना है, जिसे पीठासीन अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया अनुसार निस्तारण किया जा रहा है, जिसे प्रार्थीगण जानबूझकर देरी करना चाहते है। इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है तथा इस प्रकरण को स्थानान्तरण के माध्यम से अपनी मर्जी के अधिकारी के पास ले जाकर निर्णय अपने हक में करवाने की फिराक में है। इसलिए प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

मैने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 25.02.2022 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी राजाराम ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 411 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र के यह प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति नहीं की है। इस न्यायालय को 411 सीआरपीसी के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:28:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी राजाराम द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पार्टी संख्या 1 नानूराम वगै. के पक्षकारों ने राजनैतिक अप्रोच का इस्तेमाल किया है तथा प्रकरण का फैसल अपने पक्ष में करवाने के लिए पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 15 राजेन्द्र मण्डा पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को भूमि का कब्जा देने का भरोसा दिलाया है। पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के कारण उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:28:48 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर